

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उर-रूण्ड (light) -PART II—Section 3—Sub-Section (d)

प्राप्तिकरण से प्रकाशित PUBLISITED BY AUTHORIT

सं. 457] No. 457] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितन्त्रर 11, 1987भाद्र/ 20, 1909 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 11, 1987/B) ADRA 20, 1909

इस भाग में भिम्न पृष्ठ संख्या की आती है जिससे कि यह अलग संकलन के क्य में रक्षा जा सके

Separate Puging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(श्रम प्रभाग)

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1987

धिश्चिमा

का.शा. 820(श्र): — चूंकि इंडला गैरपंजीकृत गोदी मजदूर (रोजगार का विनिन्यमन) स्कीम, 1968 को रह करने के लिए मसौदा स्कीम, गोदी मजदूर (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) की श्रवेक्षानुसार, भारत सरकार, लन-भूतत परिवहन पंजालय (परियहन एअ) की श्रिधिसूचना का. श्रा.सं. 212 (श्र), दिनांक 13 मार्च, 1987 के साथ प्रकाणित की गई थी जिसमें इससे

उन सभी व्यक्तियों से इस प्रशिसूचना के सरकारी राजपत्न में प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिनों के अंदर धापत्तियां एवं सुझाव धामंतित किए गए थे, जिनके इससे प्रमानित होने की संभावना थी,

और चूंकि उक्त मसीदे पर जन साधारण से प्राप्त भ्रापिनयों और सुक्षायों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है,

इसलिए प्राव कोंद्र सरकार उक्त प्रधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) ब्रारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, मुख्यतः

- (1) लघु शीर्ष एवं भ्रारंभ: यह स्कीम अंडला और गैर पंजीकृत गोदी मजदूर (रोजगार का विनियमन) रिवोकेशन स्कीम, 1987 कही जाएगी।
 - (2) यह, इसके सरकारी राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
- 2. स्कीम का समापन: --कंडला गैर पंजीकृत गोदी मजदूर (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1968 एतद्द्वारा समाप्त की जाती है।

[फा.सं.एल.बी.—13013/7/86—एल-4] पी. एम. भन्नाहुम, श्रवर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Labour Division)

New Delhi, the 11th September, 1987

NOTIFICATION

S.O. 820(E).—Whereas draft scheme to revoke the Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 was published, as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), with the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Transport Wing) No. S.O. 212(E), dated the 13th March. 1987 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of 45 days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:—

- 1. (1) Short title and commencement: This Scheme may be called the Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Revocation Scheme, 1987.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. Revocation of Scheme:—The Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 is hereby revoked.

[F. No. LB-13013|7|86-IV]

P. M. ABRAHAM, Addl. Secy.